


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जत

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील
में जारी हुए

11/02/24 - यह प्रार्थना-पत्र न्याया 136 L.R. 20
के तहत प्रार्थना द्वारा प्रस्तुत किया गया
प्रार्थना पत्र में बंघित तहसीलदार रिपोर्ट
प्राप्त है प्रार्थना पत्र में उक्त रिपोर्ट
मिया गया। मुताबित तहसीलदार रिपोर्ट एवं
प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत इस्ताबेजाल में
अबलोमन उपरान्त प्रार्थना-पत्र खीमार योग्य
है प्रार्थना पत्र खीमार कर निर्णय पृथक
से लिखा गया जाकर शा.मि. रद्द बाउ तहसील
पन्नावली जिला लैख भण्डार ही सुनाया
गया।


असदुल अफिकारी
मुफ्दवार (खैरत-तिजारा)

आयुक्त उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, (खैरथल-तिजारा)
पीठासीन अधिकारी- सुरेन्द्र प्रसाद (R.A.S.)

पत्र संख्या
59/24

रजु दिनांक
11/07/2024

निर्णय दिनांक
11/07/2024

// उनवान //

1. सुमनदेवी पत्नी नरेश कुमार जाति अहीर निवासी तिनकीरूडी तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल-तिजारा (राज.)
:- प्रार्थीयान

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर, खैरथल-तिजारा।

:- अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति - सुमनदेवी - प्रार्थीगण


निर्णय

दिनांक :- 11/07/2024

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण उपस्थित आये। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि हाल जमाबंदी में वर्णित आराजी खसरा नं० 256 रकबा 2.5500 है०, 436 रकबा 0.0100 है०, 437 रकबा 0.4200 है०, 27 रकबा 0.2700 हैक्टैयर वाके ग्राम तिनकीरूडी में सुमनदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति अहीर हिस्सा 1/16 दर्ज है। उक्त खसरा नंबरों के साबिक खसरा नम्बर क्रमशः 105 रकबा 2.5500 है०, 891/200 रकबा 0.4300 है०, 607/256 रकबा 0.2700 हैक्टैयर जमाबंदी संवत् 2067-70 में सुमनदेवी पत्नी नरेश कुमार जाति अहीर हिस्सा 1/16 दर्ज है। अतः मेरे पति के नाम में हो रहे गलत अंकन को दुरुस्त कर नरेन्द्र कुमार के स्थान पर नरेश कुमार करने का निवेदन रहा।

प्रकरण में तहसीलदार मुण्डावर की मय दस्तावेज रिपोर्ट प्राप्त है। प्रकरण को धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जमाबंदी संवत् 2067-70 में आराजी खसरा नम्बर 105, 607/256 एवं 891/200 वाके ग्राम तिनकीरूडी में प्रार्थी का नाम सुमनदेवी पत्नी नरेश कुमार दर्ज था। भू-प्रबंध विभाग द्वारा तैयार मिसल बन्दोबस्त में सुमनदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार अंकित किया गया। तथा आधार वर्ष जमाबंदी संवत् 2070 में भी सुमनदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार हिस्सा 1/16 है। सेग्रीगेशन के दौरान ऑनलाइन जमाबंदी संवत् 2071-74 में भी प्रार्थी का नाम सुमनदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार अंकित किया गया। अतः हाल खसरा नंबरान में दर्ज पृवष्टि सुमनदेवी पत्नी नरेन्द्र कुमार के स्थान पर सुमनदेवी पत्नी नरेश कुमार दुरुस्त किया जाना प्रस्तावित है।

प्रार्थना-पत्र के बाबत पत्रावली व रिपोर्ट तहसीलदार एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से मवलोकन किये जाने पर एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।


11/7/24
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)


1/2



आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर हाल राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में दर्ज आराजी खसरा नंबर 256, 436, 437, 527, किता 4 रकबा 3.2500 है0 वाके ग्राम तिनकीरुड़ी तहसील मुण्डावर में प्रार्थी का हिस्सा 1/16 में प्रार्थी का नाम "सुमनदेवी पत्नि नरेन्द्र कुमार" के स्थान पर "सुमनदेवी पत्नि नरेश कुमार" दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को उक्त निर्णय की प्रति के साथ अहकाम जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सुरेन्द्र प्रसाद) उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर खैरथल-तिजारा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल-तिजारा